न्यायालय:— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क.-446/11</u> <u>संस्थित दिनांक- 23.09.2011</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।**अभियोजन**

विरुद्ध

राकेश पुत्र देवीसिंह राजपूत उम्र 42 साल निवासी ग्राम रहेटवास

.....अभियुक्त

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 27.12.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 506 भाग—2 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 08.09.2011 को समय 08:00 बजे ग्राम रेहटवास में फरियादी ममताबाई को मां—बहन की अश्लील गालियां उच्चारित उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी ममताबाई को डण्डा से मारपीट कर बांये हाथ में चोट पहुंचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की व उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक 08.09.2011 को सुबह 08:00 बजे फरियादी ममता के जेठ राकेश का बछडा ममता के घर में घुसकर आटा खा गया, ममता ने राकेश से कहा, तो इसी बात पर राकेश ने ममता को मादरचोद—बहनचोद की गालियां दी, ममता ने गालियां देने से मना किया, तो ममता को राकेश ने डण्डा मारा जो बायें हाथ के दडा में लगा, चोट होकर खून निकल आया व सूजन आ गई। घटना में पंचम ने ममता बाई को बचाया। राकेश जाते—जाते ममताबाई से कह गया कि आज तो बच गई यदि रिपोर्ट की तो आईन्दा से जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी ममताबाई द्वारा पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादियां की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध कमांक—241/11 अंतर्गत धारा— 294, 323, 506 बी भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण

हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

- 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.09.2011 को समय 08:00 बजे ग्राम रेहटवास में फरियादी ममताबाई को डण्डा से मारपीट कर बांये हाथ में चोट पहुंचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व लोक स्थान पर फरियादी ममताबाई को मां—बहन की अश्लील गालियां उच्चारित उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- 3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान फरियादिया ममताबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 4. दोष सिद्धि व दोष मुक्ति ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2, 3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 05—सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये सभी विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है।
- 06—फरियादी ममताबाई (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना उसके कथन देने के एक साल पूर्व की सुबह 08:00 बजे होकर पंचम सिंह (अ0सा0—3) के घर के सामने की है। फरियादी का कहना है कि अभियुक्त उसका जेठ है, जिसकी गाय उसके घर में घुस गई थी और जब फरियादी ने मना किया और कहा कि गाय मेरे घर में क्यों घुसी हैं तो

अभियुक्त ने उसके साथ लट्ठ से मारपीट कर दी, जिससे उसकी कलाई में चोट आई।

- 07— फरियादी ममताबाई (अ०सा०—1) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में बताई गई घटना की पुष्टि स्वयं उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 में वर्णित घटना से होती है जिसे इस साक्षी ने पुलिस थाना पिपरई में दर्ज कराया जाना तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।
- 08— घटना दिनांक को अभियुक्त की गाय फरियादी के घर में घुसने के बाद अभियुक्त और फरियादी का पंचम सिंह के घर के बाहर विवाद हुआ था, इस संबंध में फरियादी के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखिण्डत रहे हैं, फरियादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में किण्डका 2 में भी अपने मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथनों में स्थिर रहते हुये व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को सुबह 08:00 बजे अभियुक्त की गाय उसके घर में घुस गई थी जिसे उसने भगाया था उस समय अभियुक्त रोड पर ही खडा था जिसने इसी बात पर से उसके साथ मारपीट कर दी थी, जिससे उसके दोनों हाथ में चोट आई थी।
- 09— अतः फरियादी ममताबाई (अ०सा०—1) की साक्ष्य इस संबंध में अकाट्य व अखिण्डत है कि घटना दिनांक को सुबह 08:00 बजे अभियुक्त की गाय घर में घुसने पर उक्त गाय को भगाने के कारण अभियुक्त ने फरियादी ममता के साथ पंचम सिंह के घर सामने रोड पर ममताबाई के साथ मारपीट की थीं। जिससे उसके हाथों में चोटें आई थी। फरियादी ने अपने कथनों में यह भी स्पष्ट किया है कि अभियुक्त ने लाठी से उसे मारा था तथा घटना में बीच बचाव कराने के लिये पंचम सिंह (अ०सा०—3) मौके पर आ गया था।
- 10— पंचम सिंह (अ०सा0—3) ने फरियादी के कथनों की पुष्टि करते हुये अपने न्यायालीन कथनों में यह व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को सुबह 08:00 बजे वह अपने मकान पर था, तो उसके मकान के सामने रास्ते पर अभियुक्त और फरियादी का झगडा हो रहा था। जिसमें अभियुक्त ने फरियादी के साथ मारपीट की थी तथा उसने जाकर दोनों को अलग—अलग किया था। इस साक्षी के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में अखण्डित है तथा इस साक्षी के भी कथनों में कोई महत्वपूर्ण तात्विक विरोधाभास नही है।

- 11— फरियादी ममताबाई (अ०सा०—1) ने जहां अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना का पूरी तरह से समर्थन करते हुये अखिण्डत साक्ष्य दी है। वही फरियादी के द्वारा बताई गई घटना की पुष्टि घटना के स्वतंत्र साक्षी पंचम सिंह (अ०सा०—3) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में की है। जो कि विरोधाभास रिहत है। जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नही है। ममताबाई (अ०सा०—1) अभियुक्त के द्वारा लाठी से मारने पर अपने हाथ में चोट आना बताती है तथा पंचम सिंह (अ०सा०—3) भी अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट एवं फरियादी को हाथ में चोट आने की पुष्टि अपने न्यायालीन कथनों में करता है।
- 13— अतः फिरयादी के बाये हाथ के दड़ा में चिकित्सीय परीक्षण में चोट पाये जाने के पुष्टि के बाद फिरयादी ममताबाई (अ०सा०—1) व पंचम (अ०सा०—3) के द्वारा घटना के संबंध में दिये गये अकाट्य कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नही रह जाता है कि उक्त चोट अभियुक्त की गाय फिरयादी के घर में घुसने के कारण हुये विवाद पर से अभियुक्त के द्वारा फिरयादी के साथ लाठी से की गई मारपीट का पिरणाम थीं।

धमकी दी थी तथा घटना दिन में 11:00 बजे की है तथा घटना उसकी मां नहीं बताई, स्वयं उसने घटना देखी है। जबकि अभियोजन के अनुसार घटना के समय यह साक्षी खेत पर था। अतः इस साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

- 15— प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी दीपक कुमार (अ०सा०—6) के द्वारा विवेचना की गई है, जिसमें प्रकरण की विवेचना में अभियुक्त के थाने पर प्रस्तुत करने पर घटना में प्रयुक्त लाठी इस साक्षी ने छोटे सिंह (अ०सा०—2), भरत सिंह (अ०सा०—5) के समक्ष जप्त किया जाना बताया है। जिसके संबंध में भले ही छोटे सिंह (अ०सा०—2) ने प्रदर्श—पी 3 की जप्ती की कार्यवाही एवं प्रदर्श—पी 4 की गिरफ्तारी की कार्यवाही का समर्थन न किया हो, परन्तु भरत सिंह (अ०सा०—5) ने अपने कथनो से अनुसंधानकर्ता अधिकारी दीपक कुमार (अ०सा०—6) के द्वारा प्रदर्श—पी 3 की जप्ती की कार्यवाही एवं प्रदर्श—पी 4 की गिरफतारी की कार्यवाही की पुष्टि की है। जिससे अनुसंधानकर्ता अधिकारी दीपक कुमार (अ०सा०—6) की कार्यवाही संदेह रहित है।
- 16— फरियादी ममताबाई (अ०सा0—1) व पंचम सिंह (अ०सा0—3) के कथनों में भी कई जगह पर मामूली विरोधाभास है, परन्तु उक्त विरोधाभास तात्विक स्वरूप के नही है तथा समय के साथ एवं ग्रामीण परिस्थितियों को देखते हुये ऐसे मामूली विरोधाभास किसी भी व्यक्ति के कथनों में आना स्वाभाविक है। विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि यदि साक्षी किन्ही बिंदुओं पर अभियोजन का समर्थन नहीं करते है तो वह जितने बात पर अभियोजन का समर्थन करते है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। फरियादी ममताबाई (अ०सा0—1) ने हालांकि अभियुक्त के द्वारा उसे गालियां दिये जाने की घटना से इन्कार किया है तथा अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दीं, इस संबंध में फरियादी सहित किसी भी साक्षी ने कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये, परन्तु उक्त कारण से फरियादी की शेष साक्ष्य जिससे कि अभियोजन घटना प्रमाणित होती है, पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।
- 17— अभियुक्त ने फरियादी को मां—बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा जान से मारने की धमकी दी, इस आशय की कोई साक्ष्य अभिलेख पर न होने से अभियुक्त के विरूद्ध भादिव की धारा 294, 506 बी के आरोप साबित नहीं होते हैं, परन्तु फरियादी ममताबाई (अ0सा0—1) व पंचम (अ0सा0—3) की साक्ष्य इस संबंध में अकाटस व अखण्डित है कि घटना दिनांक

को अभियुक्त की गाय फरियादी के घर में घुस गई थी, जिसे भागने पर से अभियुक्त ने फरियादी के साथ लाठी से मारपीट कर उसके हाथ में उपहित कारित की थी। घटना में फरियादी के हाथ में चोट आई थी इस बात की पुष्टि डॉक्टर प्रशांत दुबे (अ०सा0-7) के चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है।

- 18— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियाजन यह युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 18.09.2011 को प्रातः 08:00 बजे ग्राम रेहटवास फरियादी ममताबाई को लाठी से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की, परन्तु साक्ष्य के आभाव में अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को मा बहन की अश्लील गालियां उच्चारित उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 19— फलतः अभियुक्त राकेश पुत्र देवीसिंह राजपूत के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 323 के आरोप प्रमाणित होने से उसे भा०द०वि० की धारा 323 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्धि घोषित किया जाता है तथा अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार अभियुक्त राकेश पुत्र देवीसिंह राजपूत के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 294, 506 बी के आरोप साबित न होने से उसे भा०द०वि० की धारा 294, 506 बी के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 20—अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 21— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का नही है तथा अभियुक्त प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है, इसिलये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। प्रकरण लगभग 6 वर्षो से न्यायालय में लंबित हैं। फरियादी और अभियुक्त एक ही परिवार के हैं। फरियादी को बांये हाथ पर एक साधारण सी चोट घटना में कारित हुई है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुये अभियुक्त राकेश पुत्र देवीसिंह राजपूत को भाठदंठविठ की धारा 323 के अपराध का दोषी पाते हुये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/— रूपये (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे।
- 22— अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति अपील अविध पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)